ALFAAZ TIMES

हर खबर, हर शहर

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION UNDER PROCESS
Application No. MAHMUL/2023/88574

GST GSTIN

UDYAM REGISTERED

DIGITAL NEWS NETWORK
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.alfaaztime.digital
info@alfaaztime.digital
+91
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

खानपान

मुंबई और हिमाचल प्रदेश के दो रेस्टोरेंट्स दुनिया के टॉप 50 में शामिल



भारतीय व्यंजनों ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान बनाई है, क्योंकि देश के दो रेस्टोरेंट्स को दुनिया के टॉप 50 की सूची में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि भारतीय स्वाद और भोजन के अनुभव के लिए बढ़ती हुई वैश्विक सराहना को दर्शाती है।

चयनित रेस्टोरेंट्स में से एक मुंबई में स्थित है, जो अपनी विविधतापूर्ण खाद्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा हिमाचल प्रदेश से है, जो अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। दोनों प्रतिष्ठानों को भारतीय पकवानों को वैश्विक मंच पर उभारने के लिए मान्यता दी गई है।

यह उपलब्धि भारतीय रेस्टोरेंट्स के वैश्विक पाक रैंकिंग में बढ़ती प्रमुखता का प्रतीक है। यह भारतीय शेफों की कुशलता और इन प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता का प्रमाण भी है।

इन दो विशिष्ट स्थानों के शामिल होने से भारतीय खाने की विविधता उजागर होती है, जो शहरी फाइन डाइनिंग से लेकर क्षेत्रीय विशेषताओं तक फैली हुई है, और यह भारतीय अंतरराष्ट्रीय खाद्य उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

बिज़नेस

आर्टी ड्रग्स के बड्डी प्लांट पर यूएस एफडीए के तीन फॉर्म 483 निरीक्षण



आर्टी ड्रग्स, एक प्रमुख भारतीय फ़ार्मास्यूटिकल कंपनी, ने हाल ही में अपने बड्डी विनिर्माण सुविधा पर यूएस एफडीए से तीन फॉर्म 483 निरीक्षण प्राप्त किए हैं।

फॉर्म 483 तब जारी किया जाता है जब एफडीए निरीक्षण के दौरान फ़ेडरल फ़ूड, ड्रग, और कॉस्मेटिक एक्ट के संभावित उल्लंघनों की पहचान करता है। निरीक्षणों में उन क्षेत्रों की ओर इशारा किया गया है जहाँ कंपनी को एफडीए मानकों को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना होगा।

बड्डी प्लांट आर्टी ड्रग्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ विभिन्न फ़ार्मास्यूटिकल उत्पाद बनाए जाते हैं। निरीक्षण कंपनी के निर्यात संचालन और नियामक अनुपालन स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

आर्टी ड्रग्स ने बताया है कि वह एफडीए के निष्कर्षों की समीक्षा कर रहा है और सुधारात्मक कार्यवाही लागू करेगा। कंपनी ने अभी तक अपने उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला पर किसी भी तात्कालिक प्रभाव का संकेत नहीं दिया है।

देश

नेपाली कहकर पासपोर्ट देने से इनकार, हिमाचल उच्च न्यायालय ने महिला को दी राहत



हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला की मदद की है, जो पासपोर्ट प्राप्त करने में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी। अधिकारियों ने उसे नेपाली मान लिया था, जिसके कारण उसकी नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया जटिल हो गई थी और पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायालय की यह हस्तक्षेप भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा की ओर इशारा करता है, जो प्रशासनिक प्रक्रियों में भेदभाव या त्रुटियों का शिकार हो जाते हैं। न्यायालय ने महिला की पहचान और पासपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार से जुड़ी उसकी शिकायत को संबोधित किया है।

यह मामला उन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जिनके सामने कुछ व्यक्ति आते हैं जब वे ऐसे प्रशासनिक प्रणालियों से जुड़ते हैं जो गहन सत्यापन के बजाय सतही अनुमानों पर निर्भर करते हैं। उच्च न्यायालय का आदेश नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सटीक पहचान की महत्वपूर्ण भूमिका का पुनर्निर्देशन करता है।

कृषि

हिमाचल प्रान्त ने पश्चिम बंगाल को पहला गोल्डन महशीर फिंगरलिंग भेजा



हिमाचल प्रान्त ने पश्चिम बंगाल को पहला गोल्डन महशीर फिंगरलिंग भेजा, जिससे यह पहली बार इस प्रजाति का अंतर-राज्यीय परिवहन हुआ।

गोल्डन महशीर एक ताजे पानी की मछली है, जिसे इसके आकार और पाक मूल्य के लिए जाना जाता है। इस कदम से पश्चिम बंगाल में मछुआरे उद्योग में विविधता लाने की उम्मीद है।

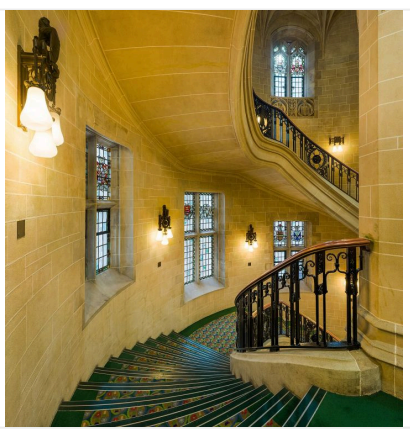
फिंगरलिंग को नियंत्रित परिस्थितियों में परिवहन किया गया ताकि उनकी जीवित रहने की दर बनी रहे। उन्हें पश्चिम बंगाल के निर्दिष्ट मछुआरे फार्मों में छोड़ा जाएगा।

अधिकारी आशा करते हैं कि यह शिपमेंट स्थानीय मछुआरों को नई बाजार मांग और मछली प्रजातियों के विविधीकरण का अवसर देगा।

इस पहल से क्षेत्र में जैव विविधता और सतत मछुआरे प्रथाओं को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों में भी योगदान की उम्मीद है।

देश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से हिमाचल को 11,973 करोड़ यूनिट बिजली देने का आदेश दिया



भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बीच बिजली वितरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति करने का आदेश दिया है। यह निर्देश हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा के लिए दिया गया है।

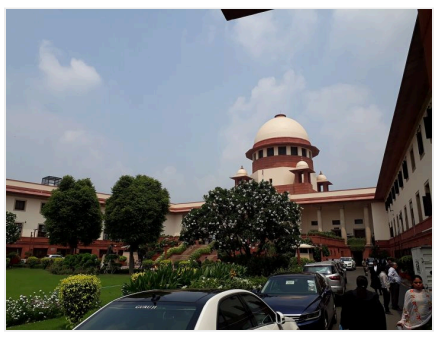
कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह बिजली आपूर्ति 20 वर्षों के दौरान की जानी है। यह निर्णय मामले में प्रस्तुत कानूनी तर्कों और पूर्व निर्णयों के आधार पर लिया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश को अपने पड़ोसी राज्यों से अपनी आवंटित बिजली प्राप्त होगी।

इस फैसले से भारत के उत्तरी क्षेत्र में बिजली ग्रिड प्रबंधन पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा की हिमाचल प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, जिससे भविष्य में संसाधन आवंटन के संबंध में संभावित विवादों में कमी आएगी।

यह फैसला संवैधानिक न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, जो राज्य सीमाओं के पार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संसाधनों का प्रबंधन करती है और प्रभावित क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।

देश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल की बिजली की देनदारी चुकाने का आदेश दिया



भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को उसकी बिजली की देनदारी चुकाने का निर्देश दिया है। यह आदेश तीन राज्यों के बीच बिजली के वितरण और भुगतान को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी संघर्ष के बाद आया है। हिमाचल प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा से अपनी बिजली की हिस्सेदारी प्राप्त करने की मांग की थी, यह दावा करते हुए कि उसे उसका सही हिस्सा नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस विवाद को सुलझाने और बिजली संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

कृषि

हिमाचल में सेब की पैदावार गिरा, खराब मौसम ने प्रभावित



हिमाचल प्रदेश में सेब की पैदावार में तेज गिरावट आई है, जब लगातार प्रतिकूल मौसम ने राज्य के फलों के बागों को नुकसान पहुँचाया। किसानों ने बताया कि भारी वर्षा, ओले और असामान्य रूप से कम तापमान ने फलों के उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस गिरावट से आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं और निर्यात मात्रा घट सकती है। राज्य कृषि अधिकारियों ने किसानों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाने का आग्रह किया है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जबकि इस घटना का राज्य की सेब उद्योग पर दीर्घकालिक असर अभी स्पष्ट नहीं है, हितधारक किसानों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

राजनीति

ईसीआई जल्द घोषित करेगा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लिए पूरक मतदान कार्यक्रम



इलेक्शन कमिश्नर (ECI) ने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पूरक मतदान का कार्यक्रम समय पर जारी किया जाएगा। यह घोषणा एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गई, जहां ECI ने स्पष्ट किया कि पूरक मतदान मुख्य मतदान के बाद सभी योग्य मतदाताओं को भाग लेने का अवसर देगा। आयोग ने बताया कि कार्यक्रम को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य चुनाव प्राधिकरणों को सूचित किया जाएगा, और मतदाताओं को आधिकारिक सूचनाओं के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई।

देश

HP हाई कोर्ट: विदेशी नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट आवेदन नहीं मनाया जा सकता



हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भारत में पासपोर्ट आवेदनों के प्रोसेसिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्देश जारी किया है। अदालत ने निर्णय दिया कि प्रशासनिक अधिकारी आवेदक की विदेशी नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते।

यह फैसला पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है, जिसमें यह जोर दिया गया है कि केवल नागरिकता स्वयं स्वतः अस्वीकृति के लिए मान्य आधार नहीं है। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदनों को मनमाने तौर पर अपवादों के बजाय गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक कानूनी मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए।

यह निर्णय उन मामलों को प्रभावित करने की उम्मीद है जहां पासपोर्ट कार्यालय द्वितीय या विदेशी नागरिकता वाले व्यक्तियों के आवेदन संभालते हैं। यह उस सिद्धांत को पुनर्स्थापित करता है कि प्रशासनिक निर्णय आवेदक की स्थिति के सामान्य मान्यताओं के बजाय विशिष्ट कानूनी प्रावधानों पर आधारित होने चाहिए।

यह कानूनी व्याख्या अस्वीकृति का सामना कर रहे आवेदकों के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करती है, जो भारतीय यात्रा दस्तावेजों की तलाश में उन लोगों के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकती है।

राजनीति

हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी बकाया केस में ऐतिहासिक जीत हासिल की, सीएम ने सरकार की इच्छा को सराहा



हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीबीएमबी बकाया मामले में ऐतिहासिक जीत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला वर्तमान सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा का परिणाम है, जिसने राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा की है।

भाकरा बीस प्रबंधन बोर्ड (BBMB) कई वर्षों से बकाया राशि वसूलने के लिए मुकदमा दायर कर रहा था, जबकि हिमाचल ने दावा किया कि यह दावा अनुचित है। अदालत ने अब राज्य के पक्ष में निर्णय दिया है।

यह जीत अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है, जो समान वित्तीय विवादों से जूझ रहे हैं, और यह दृढ़ शासन की महत्ता को उजागर करती है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से इस सकारात्मक प्रवाह को जारी रखने और हिमाचल के संसाधनों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

प्रेस ब्रीफ़िंग में बकाया राशि की सटीक राशि या अदालत के तर्कों के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई।

राजनीति

जयराम ठाकुर ने सुखु सरकार पर बीबीएमबी बिजली अधिकारों के 30-साल के संघर्ष का श्रेय लेने का आरोप, 15 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग



जयराम ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु की नई सरकार पर भाकरा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से बिजली अधिकारों के लंबे संघर्ष का श्रेय लेने का आरोप लगाया।

ठाकुर के अनुसार यह विवाद लगभग तीस साल से चल रहा है और राज्य को बीबीएमबी के जलविद्युत प्रोजेक्टों से मिलने वाली बिजली की हिस्सेदारी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सुखु सरकार की हालिया बयानबाजी इस मुद्दे को सुलझा लिया है, जबकि वास्तविकता में लड़ाई अभी जारी है।

राजनीतिक आलोचना के साथ ही ठाकुर ने राज्य को पहले प्रदान की गई पंद्रह यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी को तुरंत बहाल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें देरी होने पर उन परिवारों को नुकसान होगा जो इस सुविधा पर निर्भर हैं।

सुखु सरकार ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, और बीबीएमबी के प्रतिनिधियों ने भी शक्ति-हिस्से की वार्ता की स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।

टेक्नोलॉजी

भारतीय हाई कोर्ट ने कहा, बिक्री इनवॉइस से पेटेंट अधिकार क्षेत्र स्थापित नहीं



हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पेटेंट उल्लंघन मामलों में अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के मानदंडों को स्पष्ट किया। कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की जहाँ वादी ने कुछ ही बिक्री इनवॉइसों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि उल्लंघन का कार्यक्षेत्र अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।

न्यायाधीशों ने कहा कि अलग-अलग इनवॉइस किसी निरंतर व्यावसायिक उपस्थिति को दर्शाते नहीं हैं और इसलिए केवल इन पर अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं किया जा सकता। अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के लिए नियमित बिक्री, वितरण नेटवर्क या उत्पादन जैसी सतत व्यावसायिक गतिविधियों के प्रमाण आवश्यक हैं।

विचाराधीन इनवॉइसों को अस्वीकार करके यह निर्णय इस बात का संकेत देता है कि पेटेंट धारकों को भारतीय अदालतों में मुकदमा दायर करने के लिए अपने बाजार में वास्तविक उपस्थिति सिद्ध करनी होगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुख भविष्य में पेटेंट विवादों की रणनीति को बदल देगा, जिससे पक्षों को अधिक व्यापक प्रमाण जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी।

यह फैसला अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पेटेंट प्रवर्तन वास्तविक व्यावसायिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो।

नौकरी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 2026 में क्लर्क व प्रोसेस सर्वर पदों की भर्ती सूची जारी की



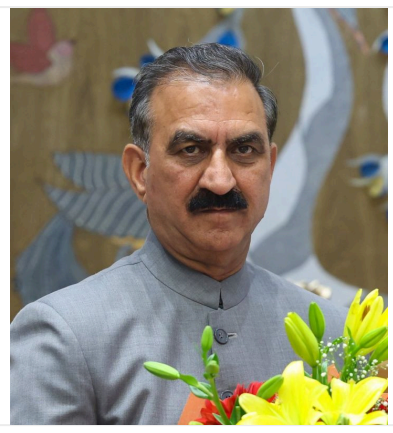
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज घोषणा की कि 2026 के लिए क्लर्क और प्रोसेस सर्वर पदों की भर्ती सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। यह सूचना कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सूची डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक प्रदान किया गया है।

सूचना में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी अब उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन शुल्क जैसी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि केवल निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ही चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सूची डाउनलोड कर, आवेदन प्रक्रिया के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर, निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए। अतिरिक्त प्रश्नों के लिए सूचना में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से कोर्ट की भर्ती सेल से संपर्क किया जा सकता है।

राजनीति

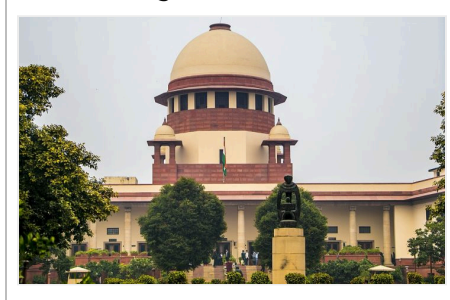
हिमाचल सीएम ने BBMB बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया



मुख्यमंत्री सुखवेंद्र सिंह सुकू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की, यह बताते हुए कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। अदालत का निर्णय BBMB द्वारा राज्य को देय लंबित राशि के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करता है। सुकू ने इस जीत के राज्य की वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इस राशि का उपयोग जन सेवाओं और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए करेगी।

राजनीति

हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को चुनौती



हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। मामले के कारण और विस्तृत विवरण अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं। 2026 LiveLaw (SC)1141 के रूप में पहचाने जाने वाले इस मामले में, भारतीय राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संबंधों में होने वाले विकासों पर नज़र रखने वाले कानूनी पेशेवरों और लोगों के लिए महत्वपूर्ण रुचि हो सकती है।